दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रबन्ध कार्यकारिणी की सम्पन्न हुई 14वीं बैठक का कार्यवृत्त।

स्थानः कार्यालय कक्ष, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
दिनांकः 21 दिसम्बर, 2012 **समयः** 2:30 बजे अपराह्न।
बैठक की उपस्थिति **संलग्नक – 1** में दी जा रही है।

एजेन्डा बिन्दु संख्या – 13.1

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा प्रबन्ध कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि की परिषद की 13वीं प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक के कार्यवृत्त परिषद् के पत्रांक 1035/1–ए तथा 1037/1–ए दिनांक 22 जनवरी 2011 के माध्यम से समस्त सदस्यों को प्रेषित किया गया।

प्रबन्ध कार्यकारिणी के समस्त सदस्य अवगत हुए।

एजेन्डा बिन्दु संख्या – 13.2

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास द्वारा परिषद की 13वीं प्रबन्ध कार्यकारिणी में लिये गये निर्णय के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में सभी उपस्थित सदस्यों को बिन्दुवार विस्तारपूर्वक अवगत कराया।

परिषद की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही से प्रबन्ध कार्यकारिणी के समस्त सदस्य अवगत हुए।

मद संख्याः 14.01: उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रबन्ध कार्यरिणी की गत बैठक के उपरांत किये गये कार्यों की संक्षिप्त प्रस्तुति

अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास द्वारा परिषद की 13वीं प्रबन्ध कार्यकारिणी से वर्तमान तक की परिषद की प्रगति से सभी सदस्यों को पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अवगत कराया।

प्रबन्धक कार्यकारिणी के समस्त सदस्य अवगत हुए एवं सभी सदस्यों ने किये जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

मद संख्याः 14.02: सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित परियोजना के द्वितीय चरण की समाप्ति

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री अनिल कुमार दत्त द्वारा प्रबन्ध कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया कि सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित त्रि–वर्षीय परियोजना "उत्तराखण्ड में बांस एवं रेशा आधारित आजीविका विकास" (Bamboo & Fiber Based Livelihood Development in Uttarakhand) की समाप्ति दिनांक 31 अगस्त, 2011 को हो चुकी है। उक्त परियोजना की गतिविधियों के मद में कुछ धनराशि अव्ययित रही, जिसे सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा 30 सितम्बर, 2012 तक "नो कॉस्ट एक्टेन्शन" दिया गया।

श्री दत्त द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि सर रतन टाटा ट्रस्ट को त्रिवर्षीय तृतीय फेस हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। त्रिवर्षीय तृतीय फेस के प्रस्ताव की प्रति कार्यकारिणी सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद संख्याः 14.03: **उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की वित्तीय नियमावली एवं खरीद नियमों का पुनरीक्षण**

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री अनिल कुमार दत्त द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की प्रथम वित्तीय नियमावली वर्ष 2004 में सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित योजना की स्वीकृति के समय बनायी गयी थी जिसे गैर सरकारी स्रोतों से संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उपयोग में लाया जा रहा था।

श्री दत्त द्वारा उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद में उत्तराखण्ड प्रोक्योमेन्ट नियमावली–2008 का ही उपयोग समस्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्ताव का प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

एजेंडाः 14.04: वाहन किराया/क्रय

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री अनिल कुमार दत्त द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में परिषद् के पास निम्न वाहन उपलब्ध हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

अ. महेंन्द्रा बोलेरो कैंपर (लोडर), संख्या यू.ए.–07–पी 6448 ए मॉडल 2006 जिसे उत्तराखंड शासन द्वारा स्वीकृत यूबीआरडीपी (एससीपी) के स्वीकृत मदों के अंतर्गत किया गया।

ब. महेन्द्रा बोलेरो जीप, संख्या यू.के.07 जी.ए.0156 जिसे वन विभाग द्वारा प्रदान किया गया।

स. टाटा इंडिगो मान्जा संख्या यू.के–07 जी.ए.–0744 जिसे वन विभाग द्वारा प्रदान किया गया।

क्रम संख्या **'अ'** पर अंकित वाहन का उपयोग परिषद् के कर्मचारियों द्वारा परियोजना कार्यों के निष्पादन हेतु किया जाता है जबकि संख्या **'ब'** तथा **'स'** पर अंकित वाहनों का उपयोग क्रमशः परिषद् के उपनिदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जा रहा है।

श्री दत्त द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद् का कार्यक्षेत्र प्रदेश के विभिन्न दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यमान है अतः कतिपय कारणों से जैसे मेलों में प्रतिभाग करना, जागरुकता अभियान चलाना, अनुश्रवण कार्य, कारीगरों हेतु शैक्षिक भ्रमण का आयोजन व अन्य फील्ड संबंधी गतिविधियों आदि हेतु परिषद् कार्मिकों को एक ही समय में एक से अधिक वाहन की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में टैक्सी, ट्रक, बस अथवा आवश्यकतानुसार अन्य प्रकार के उपयोगी वाहन को किराए पर लिए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। उपरोक्त के आलोक में निम्न के अंतर्गत परिषद् कार्यकारिणी की स्वीकृति की आवश्यकता है।

अ. विभिन्न प्रकार के वाहनों को आवश्यकतानुसार किराए पर लिए जाने हेतु सेवा प्रदाताओं से प्रतिदिन अथवा प्रति किलोमीटर के आधार पर एक वर्ष हेतु टेंडर/कोटेशन प्राप्त करने तथा न्यूनतम दरें उपलब्ध कराने वाले सेवा प्रदाता से आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध किए जाने हेतु संस्तुति।

ब. परियोजना में प्रावधान होने पर तथा धनराशि उपलब्ध होने पर नए उपयोगी वाहन के क्रय किए जाने की संस्तुति।

कार्य की प्रकृति एवं महत्ता को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिखित अनुमोदनोपरान्त उक्तानुसार परिषद के कार्मिकों को परिषद हित में कार्य करने हेतु वाहन अनुमन्य कराने के लिये प्रबन्ध कार्यकारिणी ने परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया। इसके अतिरिक्त यदि किसी परियोजना में वाहन क्रय हेतु प्रावधान है तो परिषद द्वारा नए उपयोगी वाहन क्रय करने हेतु परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत किया गया। वाहन के प्रकार हेतु शासनादेशों का अनुपालन करने के निर्देश दिये गये।

मद संख्याः 14.05: **उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के स्टाफ के वार्षिक अनुबन्ध का नवीनीकरण**

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री अनिल कुमार दत्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद में कार्यरत सभी कर्मचारियों का वार्षिक अनुबन्ध 30 सितम्बर, 2011 को समाप्त हुआ था। चालू परियोजनाओं में गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अधिकांश अनुबंध 30 सितंबर 2012 तक बढ़ा दिए गए। परंतु चूंकि विभिन्न कारणों से विगत दो वर्षों में परिषद में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः वर्तमान में उक्त मद में धन की उपलब्धता के आधार पर कर्मचारियों द्वारा कुल आहरित किये जा रहे वेतन में 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अनुबंध बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है। श्री दत्त द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद के कार्मिकों के दिये जाने वाले परिश्रमिक में मात्र वर्ष में एक ही वृद्धि दी जाती है एवं परिषद के कार्मिकों को किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता भी नहीं दिया जाता है। अतः परिषद में कार्यरत कार्मिकों के दिये जाने वाले परिश्रमिक में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जानी उचित होगी।

प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

उपरोक्त के अलावा एसआरटीटी तथा कैंपा के ऑडिटरों द्वारा अपनी ऑडिट टिप्पणियों में परिषद् में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रावधान किए जाने की संस्तुति की गई है। परंतु परिषद् में एकल सैलेरी पूल न होने के कारण तथा वेतन/मानदेय हेतु चालू परियोजनाओं में धन की उपलब्धता के दृष्टिगत कर्मचारी भविष्य निधि का प्रावधान किया जाना कठिन है। इसके समाधान के रूप में यदि समाहित मानदेय के भीतर ही रू0 6500/– की अधिकतक सीमा तक को मूल वेतन मान लिया जाए तो इसके आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि का प्रावधान परिषद् पर अधिक आर्थिक बोझ न डालते हुए किया जा सकेगा। इसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत किया जा सकता है।

उक्त प्रस्तावों का प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदन किया गया तथा यह निर्देश भी दिये गये कि परिषद में कार्यरत समस्त कार्मिकों को ई.पी.एफ. का लाभ आवश्यक रूप से दिया जाय साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि परिषद में कार्यरत समस्त कार्मिकों को ई.एस.आई. में भी आवश्यक रुप से आच्छादित किया जाय, जिससे कार्मिक तथा उनके आश्रितों को इसका लाभ मिल सके। यदि दोनों में से एक सुविधा नियमानुकूल हो तो तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

मद संख्याः 14.06: **विशेष कार्यों हेतु वाह्य स्रोतों से विशेषज्ञ सेवाएं प्राप्त करना।**

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विशिष्ट प्रकार के कार्यों हेतु, जिसमें परिषद की विशेषज्ञता अथवा सुविधाओं का अभाव है, विशेषज्ञों यथा–सलाहकार, डिजायनर आदि को वाह्य स्रोतों से लघु अवधि हेतु समय–समय पर अनुबन्ध किया जाने की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त के अलावा उत्पादों को नये स्तर पर पहुंचाने के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षणों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय डिजायन संस्थानों यथा– राष्ट्रीय डिजायन संस्थान (NID), भारतीय शिल्प संस्थान (Indian Institute of Craft & Design), नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलोजी (NIFT) आदि संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों को आमंत्रित कर लाभ लिया जा सकता है। डिजाइन छात्रों को 2 से 16 सप्ताहों तक उनके ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण व औद्योगिक अटैचमेन्ट असाइनमेन्ट हेतु बुलाया जा सकता है। डिजाइन संस्थानों द्वारा छात्रों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण अथवा औद्योगिक अटैचमेन्ट हेतु संस्थाओं से एकमुश्त निर्धारित शुल्क लिया जाता है, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी छात्रों को स्टाइपेंड एवं यात्रा भत्ता भी संबंधित संस्था द्वारा देय होता है। उक्त गतिविधि के माध्यम से अध्ययनरत छात्रों को नये क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर मिलता है वहीं संस्था को नये डिजाइन तथा उत्पादों को स्तरीय बनाने में सहायता मिलेगी। परिषद् द्वारा भी इन संस्थानों से छात्रों को आमंत्रित कर लाभ लिया जा सकता है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा उक्त प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया गया।

मद संख्याः 14.07: परिषद् के कार्यक्षेत्र का स्पष्टीकरण (Clarification)

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् संस्था के बहिर्नियम (Memorandum of Association) के बिन्दु संख्या–3 एवं उप–नियम (By-Laws) के बिन्दु संख्या 1.3 में उल्लिखित है कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद का कार्यक्षेत्र उत्तराखण्ड होगा। जबकि उप–नियम के बिन्दु संख्या 9.6 के अन्तर्गत प्रबन्ध कार्यकारिणी की शक्ति एवं कर्तव्यों में यह निहित है कि परिषद भारत में कहीं भी अपने हितों हेतु कोई भूमि या संपत्ति का क्रय अथवा पट्टे पर लेकर उस पर निर्माण अथवा पूर्व से निर्मित निर्माण परिवर्तन अथवा अन्य कार्य कर सकती है।

चूंकि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को समय–समय पर राज्य से बाहर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। अतः यहां पर यह स्पष्ट करना समीचीन होगा कि क्या परिषद राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यथा – बांस गृह निर्माण कार्य, परामर्श, प्रदर्शन कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करार, इत्यादि कार्य कर सकता है? इस हेतु परिषद कार्यकारिणी विचार विमर्श कर उक्त हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है तथा परिवर्तन की दशा में पारित प्रस्ताव से सोसायटी रजिस्ट्रार कार्यालय को अवगत कराया जा सकता है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा यह सुझाव दिया गया कि इस सम्बन्ध में समस्त नियम एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाय तथा कोई भी एम.ओ.यू हस्ताक्षरित करने से पूर्व कंपनी सेक्रेट्री अथवा सनदी लेखाकार से इस सम्बन्ध में राय भी ले ली जाय।

मद संख्याः 14.08: उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे का प्रस्ताव।

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद् कार्यकारिणी की तेरहवीं बैठक के ऐजेंडा बिंदु 13.2 के खंड 4.1 में प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा निर्देशित किया गया था कि परिषद का संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लिया जाय। परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री दत्त द्वारा अवगत कराया गया कि परिषद की विभिन्न गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुए अति–आवश्यक कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार तैयार किया गया हैः–

संगठनात्मक ढांचा

क्र.सं.	पद नाम	संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति/माध्यम
1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01	पद अनुरुप	यह पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा। वर्तमान में उत्तराखण्ड वन विभाग के अपर प्रमुख वन संरक्षक स्तर के अधिकारी परिषद में मुख्य कार्यकारी के रुप में कार्यरत हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के वेतन, भत्ते आदि को भुगतान वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। मुख्य कार्यकारी का वाहन, वाहन चालक एवं अर्दली के वेतन आदि का भुगतान भी वन विभाग द्वारा ही किया जा रहा है।
2.	उप–निदेशक/कार्यकारी अधिकारी	01	पद अनुरुप	यह पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा। वर्तमान में वन विभाग के उप–निदेशक स्तर के अधिकारी परिषद में उप–निदेशक/ कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उप–निदेशक के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान वन विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है। उप–निदेशक हेतु एक वाहन भी वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
3	प्रबन्धक (वानिकी)	01	15600–39100(ग्रे.पे.6600)	संविदा
4	प्रबन्धक (आजीविका)	01	15600–39100(ग्रे.पे.6600)	संविदा
5	प्रबन्धक (प्रशिक्षण)	01	15600–39100(ग्रे.पे.6600)	संविदा

6	प्रबन्धक (विपणन)	01	15600–34800(ग्रे.पे.6600)	संविदा
7	प्रबन्धक (बैम्बू हाउसिंग)	01	15600–39100(ग्रे.पे.6600)	संविदा
8	प्रबन्धक (लेखा)	01	15600–39100(ग्रे.पे.6600)	संविदा/प्रतिनियुक्ति
9	प्रशासनिक सहायक	01	9300–34800 (ग्रे.पे.4200)	संविदा/प्रतिनियुक्ति
10	वै.सहायक/आशुपिलिक	01	9300–34800 (ग्रे.पे.4200)	संविदा/प्रतिनियुक्ति
11	लेखा सहायक	01	5200–20200 (ग्रे.पे.2800)	संविदा/प्रतिनियुक्ति
12	सामुदायिक सुविधा केन्द्र सुपरवाईजर	01	5200–20200 (ग्रे.पे.2400)	संविदा
13	सहायक सामुदायिक सुविधा केन्द्र सुपरवाईजर	01	5200–20200 (ग्रे.पे.1900)	संविदा
14	कनिष्ठ सहायक	02	5200–20200 (ग्रे.पे.1900)	संविदा
15.	प्रशिक्षण सहायक	01	5200–20200 (ग्रे.पे.1900)	संविदा
16.	विपणन सहायक	01	5200–20200 (ग्रे.पे.1900)	संविदा
17.	वाहन चालक	02	5200–20200 (ग्रे.पे.1900)	संविदा
18.	पत्रवाहक	01	5200–20200 (ग्रे.पे.1800)	संविदा
19.	अनुसेवक	02	5200–20200 (ग्रे.पे.1800)	संविदा

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान तक उत्तराखण्ड शासन द्वारा वन विभाग की अनुदान संख्या 27 के अंतर्गत परिषद् के अधिष्ठान व्यय हेतु मानक मद 2406–वानिकी तथा वन्य जीवन, 01–वानिकी, 102–समाज तथा फार्म वानिकी, 07–उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता वर्ष 2011–12 में रू0 20.00 लाख तथा वर्ष 2012–13 हेतु रू0 15.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत परिषद् को वर्ष 2011–12 में रू0 20 लाख तथा वर्ष 2012–13 में मात्र रू. 5 लाख अवमुक्त किए जा चुके हैं।

इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि परिषद को विभिन्न एजेन्सियों को परियोजनायें भेजकर अनुदान प्राप्त कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना चाहिए। इस पर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचा मात्र अति–आवश्यक कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए तैयार किया गया है, परिषद की क्षेत्रों की गतिविधियों को संचालित करने हेतु कार्मिकों की नियुक्ति परियोजना में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना अवधि के दौरान की जायेगी। इसके अतिरिक्त श्री दत्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया सर रतन टाटा ट्रस्ट द्वारा ही अब तक मानव संसाधन हेतु योगदान किया गया है। श्री दत्त द्वारा अवगत कराया गया कि अधिकांश अनुदान देने वाली एजेन्सियों द्वारा क्षेत्र की गतिविधियों, बांस रोपण, प्रशिक्षण, मशीन क्रय, मेलों में प्रतिभाग, सेमीनार/कार्यशाला आदि मद में ही धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तथा उनकी यह अपेक्षा है कि मानव संसाधन मद में होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार को उठाना चाहिए। वर्तमान में संचालित की जा रही परियोजनाओं यथा–भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजा नेशनल बैम्बू मिशन, ओ.एन.जी.सी. द्वारा वित्त पोषित योजना आदि में विभिन्न गतिविधियों हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, परन्तु मानव संसाधन मद में किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।

इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे में 25 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति पर भरे जायें।

प्रबन्ध कार्यकारिणी ने प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे को सर्वसम्मति से अनुमोदिन किया तथा यह निर्देशित किया कि परिषद के अनुमोदिन ढाँचे को पूर्ण औचित्य के साथ शासन द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किया जाय।

एजेंडा: 14.09: यात्रा भत्ता नियमावली

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन तथा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् द्वारा पारित आदेश संख्या 308/3–ए2 दिनांक 19 जून 2004 तथा परिषद् के कार्यालय आदेशों द्वारा समय–समय पर किए गए संशोधनों के क्रम में परिषद् की यात्रा भत्ता नियमावली में संशोधन किया गया है, जिसे वर्तमान में संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। अतः परिषद् में भविष्य के उपयोगार्थ वित्त (वे०आ०–सा०नि०) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 78/XXVII (7)/2009 दिनांक 01 मार्च 2009 तथा संख्या 411/XXVII (7)/2010 दिनांक 06 जनवरी 2010 को आधार मानते हुए परिषद् की यात्रा भत्ता नियमावली का पुनरीक्षण प्रस्तावित किया जा रहा है। चूंकि परिषद् कार्मिकों को वेतन/मानदेय का भुगतान समाहित रु० में एकमुश्त मासिक दरों के आधार पर किया जाता है, ये दरें सरकारी सेवकों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते व ग्रेड पे से मेल नहीं खाती। प्रस्तावित दरों में परिषद् कार्मिकों को प्राप्त होने वाले मानदेय के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है जो कि सरकारी सेवकों को दिए जाने वेतन के सबसे निकट/लगभग समतुल्य दरों के आधार पर प्रस्तावित किया जा रहा है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि परिषद में पूर्व में प्रचलित आदेशों के अनुसार ही परिषद के कार्मिकों को यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाय। इसके अतिरिक्त कार्य की महत्ता एवं परिषद हित को मध्यजनर रखते हुए यात्रा के साधन एवं ठहरने आदि के विषय में निर्णय अथवा दरों का निर्धारण परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्व–विवेक से लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में यात्रा भत्तों में आंशिक संशोधन अथवा पुनरीक्षण का अधिकार उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिनिधायित किया जाता है।

मद संख्या: 14.10: उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठे का अनुमोदन

परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2010–11 के अंकेक्षण के उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 7,59,21,713/– की राशि प्राप्त हुई तथा विगत वर्ष के अवशेष रू0 2,12,09,289/– सहित कुल रू0 9,71,31,002/– की राशि विभिन्न परियोजनाओं में व्यय हेतु उपलब्ध थी। उक्त के विरुद्ध वर्ष 2010–11 में रु. 5,64,81,451/– का व्यय किया गया। 31 मार्च, 2011 में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर रु. 4,06,49,551.00 धनराशि परिषद के पास अवशेष थी। वर्ष 2010–11 में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के वित्तीय वर्ष 2011–12 के आर्थिक चिट्ठे को भी अंकेक्षण के उपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी के सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में परिषद के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल रु० 3,34,83,468/– की राशि प्राप्त हुई तथा विगत वर्ष के अवशेष रू0 4,06,49,551.00 सहित वर्ष में रू0 7,41,33,019/– धनराशि परिषद् के पास व्यय हेतु उपलब्ध थी। उक्त के विरुद्ध वर्ष 2011–12 में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियांवयन में रु. 4,67,52,456/– का व्यय किया गया। 31 मार्च, 2012 वित्तीय वर्ष समाप्ति पर रु. 2,73,80,563/– धनराशि परिषद के पास अवशेष थी। वर्ष 2010–11 में आयकर रिटर्न भी यथासमय भरी गई है।

प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से परिषद के वित्तीय वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 के आर्थिक चिह्नों का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या: 14.11: भण्डारण हेतु किराए पर स्थान की आवश्यकता।

एससीपी–यूबीआरडीपी परियोजना वर्ष 2005–06 के अंत से प्रारम्भ होकर 5 वर्ष की अवधि पूर्ण कर वर्ष 2010–11 में समाप्त हो गई है। परियोजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि में से रू0 9,11,561.00 लाख तथा

जिस पर अर्जित ब्याज रू0 11,54,305.00 लाख सहित कुल रू0 20,65,886.00 लाख अवशेष हैं। उक्त के उपयोग के संबंध में कार्यकारिणी द्वारा निर्णय लिया जाना है। उक्त के अलावा परियोजना के सुचारू संचालन हेतु इंदिरानगर में कार्यालय परिसर किराए पर लिया गया था। परियोजना की समाप्ति पर उक्त कार्यालय को बंद कर दिया गया है। परंतु योजना अंतर्गत उपयोग में लायी जा रही चल संपत्ति यथा फर्नीचर आदि को रखने के लिए परिषद् के जलागम निदेशालय स्थित कार्यालय में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। उक्त सामग्री के भविष्य में उपयोग को देखते हुए तथा निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण किए जाने तक के लिए परिषद् कार्यालय के आसपास एक–दों कमरों का स्थान लिया जाना उचित होगा।

इस पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अवशेष धनराशि को पुनर्वैध (Revalidate) कराने के उपरान्त उक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

मद संख्या: 14.11: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदया की अनुमति से

- अध्यक्ष महोदया द्वारा यह निर्देश दिये गये कि परिषद को अपनी विपणन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना चाहिए, जिस हेतु परिषद को देहरादून में मुख्य स्थान पर यथा–राजपुर रोड़ पर अपना एक आउटलेट स्थापित करना चाहिए, जिससे स्वयं सहायता समूहों, सहकारिताओं आदि द्वारा उत्पादित किये जा रहे उत्पादों का सही मूल्य मिल सके। अध्यक्ष महोदया द्वारा यह भी निर्देश दिये कि आउटलेट स्थापित करने हेतु धनराशि की मांग सर रतन टाटा ट्रस्ट, ओ.एन.जी.सी, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत की जा सकती है।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि जनपद हरिद्वार, पौड़ी एवं नैनीताल के निम्न ऊँचाई वाले क्षेत्र एवं उधमसिंहनगर में सघन रूप से बांस रोपण हेतु परियोजना प्रस्तुत की जाय।
- अध्यक्ष महोदया द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत भी उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद को परियोजना प्रेषण किया करे, जिसके अन्तर्गत बांस एवं प्राकृतिक रेशा संवर्धन सम्बन्धी सभी गतिविधियां जैसे–प्रशिक्षण, मशीनों का क्रय, सी.एफ.सी. निर्माण, मास्टर ट्रेनरों व आवश्यक स्टाफ आदि का प्रावधान किया जाय।
- अध्यक्षा महोदया द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार की संचालित अन्य योजनाओं के लिए भी प्रोजेक्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(अनिल कुमार दत्त)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद

अनुमोदित

(विनीता कुमार)
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
एवं अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बांस एवं
रेशा विकास परिषद

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद् की 14वीं प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक की उपस्थिति

दिनांक : 21 दिसम्बर, 2012 , समय - अपरान्ह 2:30

स्थान : कार्यालय कक्ष, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती विनीता कुमार	वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।	
2.	श्री अनिल कुमार दत्त	मु.का.अ./अ.प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्, देहरादून	
3.	श्री वी.के. सिंघल महाप्रबन्धक	प्रतिनिधि, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम	21/12/12
4.	श्री अनूप मलिक	प्रतिनिधि - प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड	21/12/2012
5.	डा. डी.पी. उनियाल	प्रतिनिधि - महानिदेशक UCOST	21/12/2012
6.	श्री मनोज चन्द्रन	अपर सचिव, वन उत्तराखण्ड शासन, देहरादून,	21/12/12
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखंड की अध्यक्षता में संपन्न उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद् कार्यकारिणी की 14वीं बैठक के कार्यवृत्त पर सहमति ।

(by circulation)

नाम	पद एवं पता	हस्ताक्षर
DR Anil P. Joshi	Founder HESCO Dehradun	
Rajeev Oberoi	SPD, Dehradun	